

संख्या: 3052/77-6-06-41टैक्स/01

प्रेमक,  
जे०पी०एन०टिबेदी,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।  
सेवा में,  
आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग, उद्योग निदेशालय,  
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर, 2006

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 तथा संशोधित में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं। अनुरोध है कि कृपया संलग्न नियमावली संख्या-2959/77-6-06-41 टैक्स/01 दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या- 2974/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 06.11.2003 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक- यथोक्त।

भूखदीप,

(जे०पी०एन०टिबेदी)

अनुसचिव

संख्या व दिनांक तदैव

- 1- उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को स्वतंत्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु रेषित-  
प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० शितीय विभाग, कानपुर।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, विकास, पिकप भवन, गौतमीनगर, लखनऊ।
- 3- अधिसूचना निदेशक, उद्योग बन्धु-माल एवेन्यू लखनऊ।
- 4- आयुक्त, व्यापार कर विभाग, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-निर्देश) अनुभाग-6
- 6- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4
- 7- कर निवन्धन अनुभाग-2
- 8- मंड फाइल।

आज्ञा से,

(जे०पी०एन०टिबेदी)

अनुसचिव



निवेश रू0 5.00 करोड़ या अधिक हो, को भी मेगा इकाई माना जायेगा ।

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2  
एतद्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम

ड- पायनियर इकाई से तात्पर्य किसी जनपद में स्थापित होने वाली प्रथम पात्र मेगा इकाई से है

“प्रतिबन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में ऐसी इकाई को पात्र माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके बाद पड़ती हो।”

प्रतिबंध यह है कि किसी जनपद में प्रथम इकाई, ऐसी पात्र इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निम्न शर्तें भी पूरी की जाय:-

(1) जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में सर्वप्रथम पड़ती हो।

(2) यदि एक से अधिक इकाईयों की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में एक ही दिन पड़ती हो तो ऐसी इकाई को प्रथम इकाई माना जायेगा जिसने सेक्रेटेरियट फर इण्डस्ट्रियल एप्रूवल, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से सर्वप्रथम आशय पत्र (एल.ओ.आई.) अथवा इच्छा पत्र (आई.ई.एम.) शानित कर एकनोलेजमेन्ट प्रांत् कर्त्तव्यता की है।

पायनियर इकाई की पात्रता का निर्धारण जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें संबंधित जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, व्यापार कर विभाग के नामित कर निर्धारण अधिकारी एवं जिलाधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी जिस अधिकारी को उचित समझे, विशेष आनंत्री के रूप में समिति में नामित कर सकते हैं। पात्रता निर्धारण के उपरान्त पात्र इकाई को पात्रता प्रमाणपत्र जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। पात्र पायनियर इकाई पात्रता प्रमाणपत्र के साथ प्रिंकप/यू.पी. एफ.सी. में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे।

3- नियम-3 का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-3 का ब्याज ऋण संशोधन मुक्त से संबंधित है में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम
3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी	3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी किन्तु पायनियर इकाई के लिए नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 15 वर्ष तक की होगी।

4- नियम-5 का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-5 में निम्नवत् संशोधन संशोधन किये गये है:-

उक्त नियमावली में नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उप नियम-(1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम-(1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) रख दिया जाएगा तथा पायनियर इकाइयों के लिए नियम-5(10) भी संशोधित हो जाएगा अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अगिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टर्ड एकाउण्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाइयों ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगी तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी।	5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अगिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टर्ड एकाउण्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देय व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं पिकप के मध्य इकाइयों का वार्गीकरण निम्न प्रकार होगा:-

उ०प्र०वित्तीय निगम

पिकप

(1) किसी भी जनपद किसी भी जनपद में स्थापित खाद्य स्थापित खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण अथवा पशु अथवा पशु सम्पदा पर सम्पदा पर आधारित आधारित ऐसी औद्योगिक ऐसी औद्योगिक इकाईयां इकाईयां जिनमें 15 जिनमें 5-15 करोड़ करोड़ से अधिक का तक का पूंजी निवेश पूंजी निवेश किया गया हो। किया गया हो।

(2) किसी भी जनपद किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली स्थापित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की इकाईयां जिनमें 10 से इकाईयां जिनमें 15.00 15 करोड़ तक का करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया पूंजी निवेश किया गया हो। हो।

(3) उपरोक्त (1) व उपरोक्त (1) व (2) के (2) के अतिरिक्त अतिरिक्त पूर्वांचल व पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड बुन्देलखण्ड में स्थापित में स्थापित होने वाली होने वाली ऐसी ऐसी औद्योगिक इकाईयां औद्योगिक इकाईयां जिनमें 10-15 करोड़ जिनमें 15 करोड़ से तक पूंजी निवेश किया अधिक का पूंजी निवेश गया हो। किया गया हो।

(4) उपरोक्त (1), (2) उपरोक्त (1), (2) व (3) के अतिरिक्त (3) के अतिरिक्त किसी किसी भी जनपद में भी जनपद में स्थापित स्थापित होने वाली होने वाली सभी प्रकार सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयां औद्योगिक इकाईयां जिनमें 30 करोड़ से जिनमें 25-30 करोड़ अधिक का पूंजी निवेश तक का पूंजी निवेश किया गया हो। किया गया हो।

यदि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा पिकप ने किसी इकाई को स्वयं वित्त पोषित भी किया हो तो उपरोक्तानुसार सीमा से बाहर होते हुए भी दूसरे निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर वह इतल योजना में वित्त पोषित कर सकते है। ऐसा करना कार्यहित / उद्योग हित / निगम हित में होगा।

5(4) व्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5(4) व्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्रतिबंध यह है कि पापनियर इकाईयों को प्रथम विक्री की तिथि से 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए व्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसकी वापसी ऋण वितरण के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के बाद होगी। शेष शर्तें यथावत दनी रहेंगी।

अधेतर प्रतिबंध यह है कि सभी नयी वृहद औद्योगिक इकाईयों जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा महिला कार्यरत हो अथवा 500 से अधिक महिलाएं स्थाई रूप से नियुक्त हो अथवा जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हों, को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य व्याज रहित ऋण के अतिरिक्त वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत अथवा प्रयत्न व्यापार कर व केन्द्रीय विक्री कर के योग, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा में रहते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगा। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल में स्थापित होने वाली इकाईयों के संबंध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/ यू.पी. एफ.सी. को उपलब्ध करायेगा।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगा। वांछित धनराशि की बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित कराकर पिकप/यू.पी.एफ.सी. को पथावश्यकता उपलब्ध कराई जायेगी।

5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु पापनिपर इकाई के लिए ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5- नियम-10 में उक्त नियमावली में नियम-10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये गये संशोधन विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम-10 रख दिया जायेगा। अर्थात्-

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम

10 ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल है, पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।

10 ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल है, के अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)  
औद्योगिक विकास आयुक्त  
एवं प्रमुख सचिव,